

**न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल**  
**(पीठासीन अधिकारी - श्रीमती मीना शाह)**

व्य.वाद. क्रमांक:- 84ए/16

संस्थापन दिनांक:-02/12/16

फाईलिंग नं. 4003572016

1. रूखमणी पति स्व. मंगरया, उम्र 40 वर्ष
2. लक्ष्मी पिता मंगरया, उम्र 25 वर्ष
3. राधा पिता मंगरया, उम्र 22 वर्ष
4. सविता पिता मंगरया, उम्र 20 वर्ष
5. सरिता पिता मंगरया, उम्र 18 वर्ष
6. सोनम पिता मंगरया, उम्र 16 वर्ष  
ना.बा.वली मां रूखमणी,  
सभी निवासी बिजोरी,  
तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....वादीगण

**वि रू द्ध**

1. फागू पिता शिवलाल, उम्र 70 वर्ष
2. दयालू पिता फागू, उम्र 27 वर्ष  
निवासी वार्ड नं. 06 आमला,  
दोनों निवासी बिजोरी,  
तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
3. भदोली पिता फागू पति भारत, उम्र 50 वर्ष  
निवासी सोमलापुर सेमरिया,  
तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
4. मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा कलेक्टर  
जिला बैतूल (म.प्र.)

.....प्रतिवादीगण

**—: ( आदेश ) :—**

**(आज दिनांक 21.01.2017 को पारित)**

1 इस आदेश द्वारा वादीगण की ओर प्रस्तुत आवेदन क्रमांक-1 अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सहपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का निराकरण किया जा रहा है।

2 आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी क्र. 01 से 03 की खानदानी भूमि ख.नं. 118/4 रकबा 0.407 हे., ख.नं. 122/3 रकबा 0.151 हे., ख.नं. 158/12 रकबा 0.135 हे., ख.नं. 158/13 रकबा 0.202 हे., ख.नं. 158/14 रकबा 0.180 हे., ख.नं. 158/15 रकबा 0.130 हे., 158/16 रकबा 0.324 हे., ख.नं. 159/3 रकबा 0.184 हे., ख.नं. 170/4 रकबा 0.229 हे. स्थित ग्राम बिजोरी तहसील आमला जिला बैतूल प्रतिवादी क्र. 01 को अपने भाईयों के साथ विभाजन में प्राप्त हुई थी जिसमें वादी क्र. 01 के पति मंगर्या का जन्म से ही स्वत्व एवं अधिकार है। उपर्युक्त भूमियां वर्तमान में प्रतिवादी क्र. 01 के नाम पर ही दर्ज है। वादीगण प्रतिवादीगण के साथ उपर्युक्त भूमियों को जोतते चले आ रहे हैं परंतु प्रतिवादी क्र. 01 एवं 02 के मन में बेईमानी आ जाने से दोनों ने मिलकर षड्यंत्र कर बिना वादीगण की सहमति के उपर्युक्त भूमियों में से ख.नं. 159/3 एवं 170/4 को छोड़कर शेष भूमियों का विक्रय प्रतिवादी क्र. 01 के द्वारा दिनांक 25.03.2016 को प्रतिवादी क्र. 02 के पक्ष में कर दिया गया है तथा अब दोनों प्रतिवादीगण मिलकर विक्रय की गयी भूमियों पर प्रतिवादी क्र. 02 का नाम दर्ज कराने हेतु प्रयासरत है। यदि प्रतिवादीगण नाम दर्ज कराने में सफल होते हैं तो वादीगण का स्वत्व प्रभावित होगा, वाद बाहुल्य का सामना करना पड़ेगा। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूर्तनीय क्षति वादीगण के पक्ष में होने के कारण प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादीगण उपर्युक्त भूमियों पर हस्तक्षेप न करे और न ही राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टि कराये।

3 प्रतिवादी क्र. 01, 02 एवं 03 की ओर से उपर्युक्त आवेदन का लिखित में जबाव पेश कर उसमें यह लेख किया गया है कि वादीगण द्वारा आवेदन में वर्णित भूमियां प्रतिवादी क्र. 01 फागू के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की स्वअर्जित भूमि है तथा प्रतिवादी क्र. 01 के द्वारा संपूर्ण प्रतिफल की राशि प्राप्त करने के उपरांत प्रतिवादी क्र. 02 को उपर्युक्त भूमियों का विक्रय किया गया है। संपूर्ण भूमियों पर शुरू से ही फागू का कब्जा है और वर्तमान में भी विक्रय किये जाने के उपरांत शेष बची भूमि पर भी प्रतिवादी क्र. 01 फागू का कब्जा है। अतः आवेदन निराधार होने से निरस्त किया जावे।

4 आवेदन के निराकरण हेतु न्यायालय में समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है :-

1. क्या वादीगण के पक्ष प्रथम दृष्टया मामला है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में किया ?
3. क्या आवेदन निरस्त किए जाने से वादीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी ?

**निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार**  
**विचारणीय प्रश्न क्र. 1 का निराकरण**

5 वादीगण के द्वारा विवादित भूमियों को पैतृक होना बताते हुए विवादित भूमियों का बंटवारा किये जाने तथा 1/3 भाग का स्वत्वाधिकारी घोषित कराये जाने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। वादीगण द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में शपथ पत्र एवं दस्तावेज खसरा वर्ष 2015-16, किशतबंदी खतौनी वर्ष 2015-16 तथा विक्रय पत्र दिनांक 25.03.2016 की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है तथा साथ ही आवेदन पर तर्क की अवस्था पर दस्तावेज अधिकार अभिलेख वर्ष 1972 की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है। जबकि प्रतिवादीगण के द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में मात्र शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6 वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज खसरा एवं किशतबंदी, खतौनी के अवलोकन से विवादित भूमियां प्रतिवादी क्र. 01 फागू के नाम पर दर्ज होना प्रकट हो रही हैं तथा अधिकार अभिलेख वर्ष 1972 में विवादित भूमियां सूरजलाल, गबदू, फागू पिता शिवलाल तथा बिहारी पिता शोभा के नाम पर भूमि स्वामी दर्ज होना प्रकट हो रही है तथा विक्रय पत्र दिनांक 25.03.2016 के अवलोकन से विवादित भूमियों का प्रतिवादी क्र. 01 के द्वारा प्रतिवादी क्र. 02 को विक्रय किया जाना प्रकट हो रहा है।

7 विवादित भूमियों में वादी रुखमणी का दावा उसके मृतक पति के द्वारा है। ऐसी स्थिति में यदि वादी का कोई भी हक व हिस्सा बनता है तो वह उसके पति के हिस्से में ही बनता है। प्रकरण में विवादित भूमियों का प्रतिवादी क्र. 01 के द्वारा प्रतिवादी क्र. 02 के पक्ष में विक्रय किया जा चुका है। वादी द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादीगण को नामांतरण की कार्यवाही से रोके जाने की सहायता चाही गयी है जिसके संबंध में यह उल्लेखनीय है कि नामांतरण से कोई स्वत्व अर्जित नहीं होता है।

8 प्रतिवादी अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि चूंकि विवादित भूमि वादी के पति की सहदायिक भूमि है। अतः प्रतिवादी क्र. 01 अन्य सहदायिकों के बिना उनका विक्रय नहीं कर सकता है। उक्त तर्क के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी क्र. 01 के द्वारा विवादित भूमियों का विक्रय किया जा चुका है तथा प्रतिवादीगण के द्वारा विवादित भूमियों के प्रतिवादी क्र. 01 की स्वअर्जित भूमि होने का अभिवचन किया गया है। विवादित भूमियां सहदायिक है या स्वअर्जित है, यह साक्ष्य की विषयवस्तु है। प्रतिवादी क्र. 01 के द्वारा प्रतिवादी क्र. 02 के पक्ष में विवादित भूमियों के संबंध में विक्रय पत्र निष्पादित किया जा चुका है तथा विक्रय पत्र की विधि मान्यता भी साक्ष्य का विषय है। इस स्तर पर यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि प्रतिवादी क्र. 01 को विवादित भूमियों का

विक्रय करने का अधिकार है अथवा नहीं। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी किये जाने के संबंध में कोई प्रथम दृष्टया मामला परिलक्षित नहीं होता है।

### **विचारणीय प्रश्न क्र. 2 एवं 3 का निराकरण**

9 विवादित भूमियां प्रतिवादी क्र. 01 फागू के नाम पर हैं, उनमें से कुछ का विक्रय प्रतिवादी क्र. 02 को किया जा चुका है। अतः यदि वादीगण विवादित भूमियों पर अपना 1/3 अंश प्रमाणित करने में सफल रहते हैं तब प्रतिवादी क्र. 01 के द्वारा विवादित भूमियों का विक्रय कर दिये जाने के कारण उसे जो भी क्षति उस विक्रय से होगी उसकी पूर्ति धन के रूप में करायी जा सकती है। अतः जबकि विवादित भूमियां वर्तमान में प्रतिवादी क्र. 01 फागू के नाम पर दर्ज हैं, जिनका विक्रय भी किया जा चुका है, तब ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन और अपूरतनीय क्षति का सिद्धांत भी वादीगण के पक्ष में नहीं पाया जाता है।

10 प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरतनीय क्षति का सिद्धांत वादीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं पाया गया है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. आई.ए.नं. 1 अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

11 आवेदन का निराकरण का प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर पारित निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं होगा। आवेदन के निराकरण का व्यय प्रकरण के परिणाम पर निर्भर करेगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर पारित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,  
आमला, जिला बैतूल

(श्रीमती मीना शाह)  
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,  
आमला, जिला बैतूल